



# बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)  
परिवहन परिसर फूलवारीशरीफ, पटना-800014  
Phone No. 0612-2223527



बिहार सरकार

अल्पकालीन निविदा  
निविदा संख्या- ०९

दिनांक- 18/09/2026

बिहार- अंतर्राज्यीय (बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा) के विभिन्न मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन हेतु इच्छुक वाहन स्वामी/ उद्यमी/ संस्था/ कम्पनी कृपया ध्यान दें।  
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा के मार्गों पर यात्रियों को सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाने एवं विभिन्न शहरों को बस परिचालन से जोड़ने हेतु लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत वाहन स्वामियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

निगम के अधीन निजी बसों के परिचालन संबंधी शर्तें -

1. आवेदनकर्ता को निविदा शुल्क के मद में ₹10,000/- का **Demand Draft** संलग्न करना होगा जो कि **Non Refundable** होगा। निविदा के साथ **EMD** की राशि बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा मार्ग के लिए 20,000/- प्रतिबस होगी। निविदा स्वीकृत नहीं होने पर **EMD** की राशि आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
  2. वाहन का **Minimum Specification -2024-2026 Model, AC/Non A.C Deluxe Bus 2x2 PushbackSeat/Sleeper , Length- 11m, No. of seat- 40, Wheel Base 6000mm (Deviation-10%), Engine Power- 200HP(Deviation-10%)**
  3. वाहन **AIS-052** एवं **AIS-119** के अनुसार निर्धारित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र।
  4. संबंधित आवेदक के द्वारा बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा मार्ग के लिए न्यूनतम 07% (बिहार खेप का) निगम राजस्व हिस्सेदारी राशि निगम को देय होगा।
  5. आवेदक को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का आवेदन निगम में समर्पित करना होगा।
  6. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क एवं **EMD** की राशि का ड्राफ्ट "Chief Account Officer B.S.R.T.C." Payable at Patna के नाम से देय होगा।
  7. चयनित वाहन स्वामियों का बिहार-दिल्ली मार्गों पर एकरारनामा दोनों राज्यों के समझौता अनुसार प्रभावी होगा।
- निगम के अधीन बस परिचालन हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में आवेदन समर्पित कर सकते हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 30/09/2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक है। आवेदन प्रारूप, शपथ पत्र एवं बस परिचालन की शर्तों की विस्तृत विवरणी परिवहन विभाग के वेबसाईट [www.state.bihar.gov.in/transport](http://www.state.bihar.gov.in/transport) पर देखी जा सकती है।

प्रशासक

# बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना

बिहार-अन्तर्राज्यीय यथा बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा के विभिन्न मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन के इच्छुक वाहन स्वामी/उद्यमी/संस्था/कम्पनी कृपया ध्यान दें।

बिहार-अन्तर्राज्यीय (बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा) के विभिन्न मार्गों पर निगम के अधीन सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत इच्छुक वाहन स्वामियों से निम्नवत् समझौता किये गये मार्गों पर बसों के परिचालन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :-

बिहार-अन्तर्राज्यीय मार्ग

बिहार-हरियाणा

| बिहार-हरियाणा |                     |         |                  |
|---------------|---------------------|---------|------------------|
| क्रमांक       | मार्ग का नाम        | क्रमांक | मार्ग का नाम     |
| 1             | पटना-गुरुग्राम      | 7       | गया-गुरुग्राम    |
| 2             | पटना-पानीपत         | 8       | गया-पानीपत       |
| 3             | पटना-अम्बाला        | 9       | गया-अम्बाला      |
| 4             | पूर्णियाँ-गुरुग्राम | 10      | मधुबनी-अम्बाला   |
| 5             | पूर्णियाँ-पानीपत    | 11      | मधुबनी-गुरुग्राम |
| 6             | पूर्णियाँ-अम्बाला   | 12      | मधुबनी-पानीपत    |

बिहार-दिल्ली हेतु मार्गों पर एकरारनामा दोनों राज्यों के समझौता अनुसार प्रभावी होगा।

लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा निम्न नियम एवं शर्तों पर वाहनों का एकरारनामा कर निगम के नियंत्रणाधीन बसों का परिचालन किया जाएगा:-

1. आवेदनकर्ता को आवेदन शुल्क के मद में 10,000/- का Demand Draft संलग्न करना होगा जो कि Non Refundable होगा। आवेदन के साथ EMD की राशि बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा मार्गों के लिए 20,000/- प्रतिबस होगी।
2. आवेदन स्वीकृत नहीं होने पर EMD की राशि आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
3. रिक्तियाँ नहीं होने पर संबंधित मार्ग के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. बिहार-दिल्ली मार्गों पर निगम के साथ किया गया एकरारनामा दोनों राज्यों के समझौता अनुसार प्रभावी होगा।
5. H1 वाहन स्वामियों के साथ वाहन AIS-052 एवं AIS-119 के अनुसार निर्धारित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र।

6. संबंधित आवेदक के द्वारा बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा मार्गों के लिए कुल बैठान क्षमता का न्यूनतम 07% (मात्र बिहार से खुलने वाली खेप का) की राशि वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा। संबंधित मार्ग का H1 दर के आधार निगम राजस्व देय होगा।
7. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क एवं EMD की राशि का ड्राफ्ट "Chief Account Officer B.S.R.T.C." Payable at Patna के नाम से देय होगा।
8. निविदादाता द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र I में ओभर राईटिंग स्वीकार्य नहीं होगा।
9. परिचालकों का चयन वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के निबंधन संख्या/चेसीस नं०/इंजन नं०, वाहन का मॉडल के आलोक में न्यूनतम 07% निगम राजस्व प्रतिशत (यदि भविष्य में निगम के द्वारा किराया बढ़ाया जाएगा तो बढ़े हुए दर गणना कर निगम के खाते में जमा किया जाएगा) देने के आधार पर किया जायगा। निगम राजस्व की गणना बसों के कुल बैठान क्षमता x बिहार से खुलने वाली खेप x भाड़ा x H1 निगम राजस्व % के आधार पर की जायगी। निगम राजस्व का प्रतिशत बिहार-दिल्ली/हरियाणा मार्गों पर संबंधित मार्ग के लिए H1 दर % के आधार पर बिहार से खुलने वाली खेप का निगम राजस्व हिस्सेदारी राशि निगम को देय होगा।
10. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क ₹ 10,000/- तथा EMD के मद में बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा के मार्ग पर प्रति बस ₹ 20,000/- EMD की राशि आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। आवेदन शुल्क एवं EMD राशि का Demand Draft "Chief Account Officer B.S.R.T.C." Payable at Patna, के नाम से जमा किया जायेगा। आवेदन के साथ EMD राशि का ड्राफ्ट नहीं रहने पर आवेदन मान्य नहीं होगा। असफल आवेदकों का EMD राशि लौटा दिया जायेगा। सफल आवेदकों का EMD राशि को Performance Guarantee के रूप में जमा कर लिया जायेगा।
11. वाहन स्वामी द्वारा आवेदन प्रपत्र I में अंकित पते पर निबंधित डाक से पत्राचार/नोटिस निर्गत किया जाएगा। निगम द्वारा निबंधित डाक से भेजा गया नोटिस वापस आने पर इसकी जिम्मेवारी निगम की नहीं होगी एवं नोटिस को पूर्ण माना जाएगा।
12. समिति द्वारा चयन किए गए वाहनों का एकरारनामा वाहन स्वामी को 07 दिनों के अन्दर करना होगा अन्यथा 07 दिनों का नोटिस पश्चात् आवेदनकर्ता का आवेदन अमान्य करते हुए उनके द्वारा जमा संबंधित मार्ग के वाहन का EMD राशि जप्त कर ली जाएगी एवं निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि से 05 वर्षों के लिए निगम द्वारा प्रकाशित निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
13. आवेदक को कहीं से भी काली सूची में नहीं डाले जाने एवं भारत के किसी भी न्यायालय से दिवालिया घोषित नहीं किए जाने का शपथ-पत्र।
14. किसी फर्म द्वारा आवेदन समर्पित किए जाने पर फर्म को निबंधित होने का प्रमाण-पत्र।
15. Individual आवेदक होने पर 18 वर्ष आयु से अधिक होने तथा भारत का नागरिक होने का प्रमाण-पत्र।
16. विहित प्रपत्र I में आवेदन, आवेदन शुल्क, EMD राशि एवं शपथ पत्र देना अनिवार्य है।

17. बसों के परिचालन हेतु परिचालन की अवधि परमिट की अवधि से 05 वर्षों तक के लिए वैध होगा।
18. आवेदकों को आवेदन प्रपत्र I के साथ बिहार से निबंधित वाहन का निबंधन संख्या एवं वाहन का कागजात लगाना अनिवार्य है।
19. चयनित आवेदक को परमिट आवेदित करने से पूर्व अनुबंधित वाहन के आर0सी0 में संबंधित DTO से U/LA BSRTC कराना अनिवार्य होगा।
20. परमिट से संबंधित सभी शुल्क वाहन स्वामी द्वारा देय होगा।
21. वाहन स्वामी द्वारा MVI Act एवं सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
22. आवेदनकर्ता को आपने नाम (निबंधन प्रमाण पत्र में अंकित नाम) से निबंधित वाहनों का कागजात उपलब्ध कराना अनिवार्य है। फर्म की स्थिति में फर्म के निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
23. आवेदक को GST No से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराना आवश्यक है।
24. वाहन का Minimum Specification –2024–2026 Model, AC/Non A.C Deluxe Bus 2x2 PushbackSeat/Sleeper Length- 11m, No. of seat- 40, Wheel Base 6000mm (Deviation-10%), Engine Power- 200HP(Deviation-10%)
25. वाहन में मोबाईल चार्जर Point, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन द्वारा, GPS एवं VLTD होना आवश्यक है साथ ही बों में अवैध पार्टिशन, शटर (सीट में) नहीं होना चाहिए।
26. वाहन का मॉडल 2024 अथवा Latest होना चाहिए। Latest Model को प्राथमिकता दी जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा निर्गत सूचना अनुसार वाहन की आयु अनुसार संबंधित मार्ग का परमिट प्राप्ति हेतु वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी वाहन स्वामी/आवेदनकर्ता की होगी।
27. चयनित वाहन स्वामी द्वारा अन्य राज्य का उपलब्ध कराए गए वाहनों का बिहार राज्य में निबंधन 15 दिनों के अन्दर कराना आवश्यक होगा।
28. एकरारनामा पश्चात् परमिट प्राप्ति हेतु वाहन स्वामी को समय-सारणी, परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस अनुसार वाहन का मान्य कागजात एवं परमिट शुल्क निगम में 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा। परमिट स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन स्वामी को वाहन का मान्य कागजात, अधिभार शुल्क, पूर्व से यदि वाहन पर परमिट हो तो परमिट प्रत्यार्पण का शपथ पत्र, आदि 07 दिनों के अन्दर निगम में जमा करना होगा।
29. निगम द्वारा आवेदित मार्गों का STA से परमिट स्वीकृत होने के पश्चात् प्राप्त परमिट प्रतिहस्ताक्षर के बाद नियमानुसार वाहन स्वामी द्वारा वाहन का संचालन किया जाएगा।
30. आवेदक एक या एक से अधिक मार्ग के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को होगा।
31. किसी मार्ग पर H1 चयनित आवेदनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों की संख्या कम रहने पर अन्य H2, H3... चयनित वाहन स्वामियों के वाहनों के साथ सहमति की स्थिति में H1 दर पर एकरारनामा करते हुए परमिट प्राप्त किया जाएगा।

32. निगम के साथ अनुबंधित वाहन स्वामी के वाहनों के विरुद्ध यदि अद्यतन माह तक निगम राजस्व बकाया है तो वैसे बकाएदारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
33. वाहनों के परिचालन से निगम राजस्व बकाया होने एवं उक्त बकाया राशि जमा नहीं करने या निगम के बस परिचालन में व्यवधान उत्पन्न किये जाने पर निगम द्वारा वाहन स्वामी को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया जाएगा। 02 माह के बकाया के विरुद्ध नोटिस के उपरांत बकाया जमा नहीं करने या व्यवधान नहीं हटाने पर वाहन स्वामी द्वारा जमा बैंक गारंटी/Performance Guarantee को जब्त करते हुए वाहन का परिचालन बंद कर एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा।
34. वाहन का परिचालन आदेश निर्गत करने के पश्चात् वाहन स्वामी को परिचालन की शर्त के क्रम संख्या 09 (निगम राजस्व की गणना बसों के कुल बैठान क्षमता x प्रति खेप x भाड़ा x निगम राजस्व प्रतिशत के आधार पर की जायगी) के अनुसार निगम को अग्रिम के रूप में 30 दिनों का राजस्व हिस्सेदारी वाहन परिचालन से पूर्व भुगतान करना होगा, साथ ही उक्त माह का निगम राजस्व की हिस्सेदारी माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा किया जाएगा। 30 दिनों का अग्रिम भुगतान पूरे माह के भुगतान के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा। अग्रिम भुगतान निगम के पास अनुबंध की अवधि तक सुरक्षित रहेगा।
35. बिहार राज्य में शराबबंदी कानून लागू है। इस परिपेक्ष्य में शराब बंदी का पालन संबंधित बस चालक एवं संवाहक को करना होगा। किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष अर्थात् अनुबंधित वाहन स्वामी की होगी।
36. वाहन स्वामी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक निगम राजस्व हिस्सेदारी जमा किया जाएगा।
- निगम को देय राशि द्वितीय पक्ष द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा की जाएगी। इसमें विफल रहने पर 0.3% (साधारण ब्याज की दर से) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क निगम को देय होगा। प्रतिदिन देय राशि का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा निगम को किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि अनुबंधित वाहन स्वामी को प्रतिमाह जमा की जाने वाली राशि का भुगतान ₹ 10,000/- किया जाना है एवं उनके द्वारा प्रतिमाह जमा/पूर्व का बकाया राशि जमा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विलम्ब शुल्क की गणना प्रतिदिन के आधार पर निम्नवत् है :-

| माह         | प्रतिमाह जमा की जानेवाली राशि | पूर्व का बकाया | पहला दिन | दूसरा दिन | तीसरा दिन | चौथ दिन | पॉचवा दिन | ..... 30/31 | कुल विलम्ब शुल्क की राशि (0.3%) |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|---------------------------------|
| अप्रैल-2026 | 10000                         | 10000          | 30       | 30        | 30        | 30      | 30        | 30          | 900                             |
| मई-2026     | 10000                         | 20000          | 60       | 60        | 60        | 60      | 60        | 60          | 1860                            |
| जून-2026    | 10000                         | 30000          | 90       | 90        | 90        | 90      | 90        | 90          | 2700                            |
|             |                               |                |          |           |           |         |           | कुल         | 5460                            |

37. द्वितीय पक्ष द्वारा कोई भी राशि का भुगतान उपरोक्त माह में नहीं करने पर माह अप्रैल में विलम्ब शुल्क 900, मई में 1860 एवं जून में 2700 कुल 5460/- एवं पूर्व का बकाया निगम राजस्व 30,000/- देय होगा। पूर्व का बकाया राशि भुगतान नहीं करने तक विलम्ब शुल्क की गणना 0.3% के दर से प्रतिदिन के अनुसार आगे की माह में इसी प्रकार की जाएगी।
38. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन स्वामी द्वारा इसकी सूचना 24 घंटों के अंदर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
39. वाहन परिचालन नहीं होने पर संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, (संचालन) द्वारा जाँचकर प्रतिवेदन 24 घंटे के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
40. निगम द्वारा निर्धारित यात्री किराया ही यात्रियों से लेना होगा एवं टिकट उपलब्ध कराना होगा।
41. यात्री किराया से संबंधित तालिका ड्राईवर का नाम, मोबाईल नं० एवं परमिट की वैधता बस के अन्दर एवं गेट पर अंकित करना होगा। अनुबंधित बस में निगम के संवाहक से कार्य लिया जाएगा।
42. सभी प्रकार के कर, बीमा, रोड टैक्स, टॉल टैक्स, परमिट शुल्क, परमिट प्रतिहस्ताक्षर शुल्क आदि वाहन स्वामी द्वारा देय होगा एवं वाहन से संबंधित विवाद की सारी जिम्मेवारी वाहन स्वामी की होगी।
43. किसी माह में निगम राजस्व जमा नहीं करने पर क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (संचालन) द्वारा निबंधित डाक से पत्राचार/नोटिस निम्नवत् तालिका अनुसार निर्गत करते हुए इसकी सूचना/प्रतिलिपि मुख्यालय को भी दी जाएगी।

| दिनांक                                                                                                                | नोटिस                         | कार्रवाई                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| माह की 10वीं तारीख                                                                                                    | 15 दिनों का प्रथम नोटिस       | बकाया निगम राजस्व जमा नहीं करने पर 15 दिनों का प्रथम नोटिस निर्गत किया जाएगा।                                                                                                             |
| माह की 26वीं तारीख                                                                                                    | 15 दिनों का द्वितीय नोटिस     | प्रथम नोटिस के उपरान्त भी निगम राजस्व भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बैंक गारंटी जप्त करने एवं वाहन का परिचालन बंद करने के संबंध में 15 दिनों का द्वितीय नोटिस निर्गत किया जाएगा। |
| अगले माह की 11 वीं तारीख                                                                                              | 15 दिनों का तृतीय अंतिम नोटिस | द्वितीय नोटिस के उपरान्त भी निगम राजस्व भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बैंक गारंटी जप्त, वाहन का परिचालन बंद करते हुए एकरारनामा रद्द हेतु 15 दिनों का नोटिस निर्गत किया जाएगा।    |
| तृतीय नोटिस के उपरान्त भी बकाया जमा नहीं करने पर वाहन स्वामी का संबंधित मार्ग एवं बस का एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा। |                               |                                                                                                                                                                                           |

44. वाहन के रख-रखाव (Maintenance) के लिए एक माह में तीन दिनों का मरम्मत छूट दिया जाएगा। उक्त तीन दिनों का निगम राजस्व की गणना नहीं की जाएगी।
45. आर0सी0 एवं बस में उपलब्ध सीट का Alteration पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एकरारनामा रद्द कर परमिट प्रत्यार्पण कर दी जाएगी। बसों के सीट का सत्यापन संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किया जाएगा।
46. परमिट प्राप्ति पश्चात् एवं वाहन परिचालन आदेश से पूर्व वाहन स्वामी को प्रतिबस 01 लाख का बैंक गारंटी/फिक्स डिपोजिट निगम में जमा करना होगा जो कि Chief Account Officer B.S.R.T.C., Patna के नाम से Pledge होगा।

**आवेदनों का समर्पण:-**

47. आवेदनकर्ता दिनांक 30/11/2026 को 03:00 बजे अपराहन तक निर्धारित आवेदन शुल्क एवं EMD के साथ परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ पटना में आवेदन जमा कर सकते हैं। बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा मार्ग पर आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क ₹ 10,000/- एवं EMD प्रति बस ₹ 20,000/- की राशि Demand Draft "Chief Account Officer B.S.R.T.C." Payable at Patna, के पदनाम से पटना स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतान होगा। आवेदन प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना-800014 बिहार, के पते पर अथवा स्वयं कार्यालय में जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इच्छुक आवेदक इस विषय में जानकारी के लिए दूरभाष संख्या-0612-2223527/6204750096 पर किसी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रशासन मुख्य

प्रशासक

निविदा संख्या- ०९

आवेदन प्रपत्र I

दिनांक- 18/09/26

लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय (बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा) मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन बसों के परिचालन हेतु आवेदन प्रपत्र

- आवेदक का नाम :- .....
- पिता का नाम :- .....
- पत्राचार का पता :- .....
- सम्पर्क दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०:- ..... Alternate No. ....
- Whatsapp no :- .....
- e-mail/ ..... GST No.....
- कुल आवेदित बसों की संख्या:-.....
- निविदा शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) की विवरणी:  
राशि 10,000 /- , बैंक का नाम .....  
ड्राफ्ट नं०....., दिनांक .....
- EMD डिमांड ड्राफ्ट की विवरणी: (अन्तरराज्यीय मार्ग पर प्रतिबस ₹ 20,000 /-)  
राशि ..... , बैंक का नाम .....  
ड्राफ्ट नं०....., दिनांक .....
- कुल EMD की राशि : .....

आवेदक का फोटो

| क्रम संख्या | मार्ग का नाम | बसों की संख्या | वाहन का निबंधन संख्या/वेचीस नं०/इंजन नं० |
|-------------|--------------|----------------|------------------------------------------|
|             |              |                |                                          |
|             |              |                |                                          |
|             |              |                |                                          |
|             |              |                |                                          |
|             |              |                |                                          |
|             |              |                |                                          |

नोट :- बसों का अद्यतन कागजात, आवेदक का फोटो, आवेदन शुल्क, EMD राशि का ड्राफ्ट, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक एक या एक से अधिक मार्ग पर भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की तिथि

स्थान

;

आवेदक का हस्ताक्षर

निविदा संख्या-.....७१

भाग-II वित्तीय निविदा

परिशिष्ट-2

लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय (बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा) मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन बसों के परिचालन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :- .....
2. पिता का नाम :- .....
3. पत्राचार का पता :- .....  
.....  
.....
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या/ मोबाईल नं०:- .....
5. कुल आवेदित बसों की संख्या:- .....
6. ईमेल :- .....

आवेदक का फोटो

| क्रम संख्या | मार्गों का नाम | वाहन का निबंधन संख्या/ चेचीस नं० / इंजन नं० | निगम राजस्व- निगम में माहवार जमा की जाने वाली राशि बिहार-दिल्ली एवं बिहार-हरियाणा मार्गों पर (न्यूनतम 07 % बिहार से खुलने वाली खेप का) |            |
|-------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                |                                             | अंको में                                                                                                                               | शब्दों में |
|             |                |                                             |                                                                                                                                        |            |
|             |                |                                             |                                                                                                                                        |            |
|             |                |                                             |                                                                                                                                        |            |
|             |                |                                             |                                                                                                                                        |            |

आवेदन की तिथि :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

### शपथ पत्र

मैं ....., पिता-.....,  
ग्राम-....., पो0-.....थाना-.....,  
जिला-....., पिन नं0-..... मो0-.....

शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि :-

1. यह कि उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मेरा उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
3. यह कि मेरा आधार नं0-..... है।
4. यह कि वाहन संख्या-..... मेरे नाम से निबंधित है।
5. यह कि आवेदित गाड़ी स्पेयर/पूर्व परमिट से आवृत है।
6. यह कि परमिट प्राप्ति हेतु परिवहन विभाग द्वारा आयु से संबंधित निर्गत नोटिस अनुसार आवेदक द्वारा अपने से नाम से निबंधित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
7. यह कि आवेदित गाड़ी का STA एवं RTA से अस्थायी एवं स्थायी परमिट निर्गत है/नहीं है।
8. यह कि मैं निगम के साथ पूर्व से अनुबंधित हूँ/नहीं हूँ एवं आवेदित गाड़ी का निगम के नाम से पूर्व से परमिट प्राप्त है/नहीं है।
9. यह कि कहीं से भी काली सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है।
10. यह कि किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हूँ और नहीं मेरे उपर कोई केस मुकदमा है।
11. यह कि मेरे द्वारा 01 माह के अन्दर बसों का निबंधन संख्या से संबंधित सभी कागजात परमिट आवेदित करने हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा।
12. यह कि मेरे द्वारा जो भी कागजात जमा किया जा रहा है वह सही एवं सत्य है। किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर मेरा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।  
यह कि उपरोक्त वर्णित सारी बातें मेरे जानकारी में सही एवं सत्य है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर